फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

सरोज वगै. बनाम उर्मिला वगै.
किस्म मुकदमा : अपील नामान्तकरण
मुकदमा नम्बर : 10/2012

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.04.2026	पत्रावली पेश हुयी। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण में वास्ते आदेश आज की तिथि नियत है। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के जरिये नामान्तकरण संख्या 267 दिनांक 05.08.2010 तस्दीक द्वारा ग्राम पंचायत भांकरी को निरस्त करने का अनुतोष चाहा गया है। अपीलान्ट का कथन है कि ग्राम भांकरी तहसील दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 4/1127, 5, 7, 8, 9, 10 अपीलान्ट के पिता रामोतार व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 लगायत 10 की खातेदारी में दर्ज थी तथा खसरा नम्बर 248 अपीलान्ट के पिता रामोतार की तन्हा खातेदारी भूमि थी। अपीलान्ट के पिता रामावतार पुत्र दामोदर की मृत्यु हो जाने पर उनकी विरासत का नामान्तकरण वारिसान की जांच किये बिना अपीलान्ट का नाम दर्ज किये बिना व बिना सुने ग्राम पंचायत भांकरी ने अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 267 दिनांक 05.08.2010 को पारित कर दिया। अपीलान्ट रामोतार की जायन्दा पुत्री हैं लेकिन ग्राम पंचायत ने बिना वारिसान की जांच किये नामान्तकरण खोलने में कानूनी गलती की है। उक्त आराजी संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक सम्पत्ति है, जिसमें अपीलान्ट के अधिकार निहित हैं। ऐसी दशा में अपीलान्ट के नाम भी नामान्तकरण तस्दीक किया जाना चाहिए था किन्तु ग्राम पंचायत ने ऐसा न कर आदेश पारित करने में कानूनी गलती की है। अपीलान्ट को उक्त नामान्तकरण की जानकारी दिनांक 12.05.2010 को रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अपीलार्थीगण को उक्त आराजी से जबरन बेदखल किये जाने की धमकी देने पर अपीलान्ट द्वारा राजस्व रिकॉर्ड की नकल प्राप्त करने पर हुयी। जिस जानकारी से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की जा रही है। यदि फिर भी उक्त अपील पेश करने में देरी मानी जावे तो धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से संलग्न किया जा रहा है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्ट की तलबी की गयी। अपीलाधीन मूल नामान्तकरण तलब किया गया। प्रकरण में बहस उभयपक्ष सुनी गयी। बहस के दौरान अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते	उपखण्ड अधिकारी दौसा (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

हुए अपीलाधीन नामान्तकरण को निरस्त फरमाने का निवेदन किया। बहस के दौरान रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 लगायत 10 के अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलाधीन नामान्तकरण वर्ष 2010 में स्वीकृत हुआ है। अपील मियाद बाहर पेश की गयी है। अपीलान्ट की ओर से एक दावा न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा के समक्ष भी पेश किया गया था। ऐसी स्थिति में अपील के राइट्स समाप्त हो गये हैं। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट की ओर से यह अपील नामान्तकरण संख्या 267 दिनांक 05.08.2010 ग्राम भांकरी, तस्दीक द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत भांकरी के विरुद्ध न्यायालय के समक्ष पेश की गयी है। अपीलान्ट की ओर से एक प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम भी पृथक से पेश कर अपील पेश करने में हुयी देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाने का निवेदन किया गया है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 लगायत 10 के अधिवक्ता ने आपत्ति जताते हुए अपील मियाद बाहर पेश किया जाना बताया है। अपीलान्ट का कथन है कि अपीलाधीन नामान्तकरण की जानकारी दिनांक 12.05.2010 को रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अपीलार्थीगण को उक्त आराजी से जबरन बेदखल किये जाने की धमकी देने पर अपीलान्ट द्वारा राजस्व रिकॉर्ड की नकल प्राप्त करने पर हुयी है। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत अपीलाधीन नामान्तकरण की नकल का अवलोकन करने पर पाया जाता है कि नकल दिनांक 07.06.2012 को प्राप्त की गयी है एवं विचाराधीन अपील दिनांक 20.06.2012 को न्यायालय हाजा में दर्ज हुयी है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विचाराधीन अपील अन्दर मियाद मानी जाती है। प्रकरण में तलब किये गये मूल नामान्तकरण संख्या 267 ग्राम भांकरी जो कि दिनांक 05.08.2010 को सरपंच, ग्राम पंचायत भांकरी द्वारा तस्दीक किया गया है का अवलोकन करने पर पाया जाता है कि रामावतार पुत्र दामोदर प्रसाद जाति ब्राह्मण के फौत होने पर विरासत का नामान्तकरण उर्मिला बेवा रामावतार; सत्यनारायण, संजय पुत्र रामावतार जाति ब्राह्मण के पक्ष में सरपंच, ग्राम पंचायत भांकरी द्वारा स्वीकृत किया गया है। अपीलान्ट ने स्वयं को रामावतार की पुत्रियाँ होना बताया है। इस प्रकार प्रतीत होता है कि सरपंच, ग्राम पंचायत भांकरी ने अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 267 दिनांक 05.08.2010 स्वीकार करते समय रामावतार पुत्र दामोदर प्रसाद जाति ब्राह्मण के समस्त विधिक वारिसान की जाँच किये बिना रामावतार की पुत्रियों (अपीलान्ट) को छोडकर नामान्तकरण तस्दीक करने में त्रुटि कारित की है। अतः नामान्तकरण संख्या 267 दिनांक 05.08.2010 ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
दौसा

भांकरी, तस्दीक द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत भांकरी को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 267 दिनांक 05.08.2010 ग्राम भांकरी, तस्दीक द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत भांकरी निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार दौसा को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उभय पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया जाकर एवं पूर्ण विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित कर पुनः नामान्तकरण दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति सहित मूल नामान्तकरण भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)